संख्या-5/2018/19/60-2-18-2/3(9)/12 टी.सी.

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2018

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त मानदेय हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-834/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 02. जनवरी, 2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले मानदेय हेतु 14-समन्वित बाल विकास परियोजना की मानक मद 07-मानदेय के अन्तर्गत आय-व्ययक में मूल प्राविधानित धनराशि रूपये 29524.00 लाख एवं अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 10000.00 लाख अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 39524.00 लाख (रूपये तीन अरब पंचानब्बे करोड़ चौबीस लाख मात्र) के सापेक्ष रूपये 7381.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-17/2017/845/60-2-17-2/3(9)/17, दिनांक 28 अप्रैल, 2017, रूपये 4921.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-28/2017/1463/60-2-17-2/3(9)/17, दिनांक 04 जुलाई, 2017 एवं रूपये 17222.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-35/2017/2396/60-2-17-2/3(9)/17, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले मानदेय हेतु 14-समन्वित बाल विकास परियोजना की मानक मद 07-मानदेय के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 39524.00 लाख (रूपये तीन अरब पंचानब्बे करोड़ चौबीस लाख मात्र) के सापेक्ष अक्टूबर, 2016 से फरवरी, 2017 तक कुल 05 माहों का अतिरिक्त मानदेय के एरिएर के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि रूपये 10000.00 लाख (रूपये एक अरब मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0 खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 व शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास परियोजना-01-आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07-मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

4. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

संख्या-5/2018/19(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in